अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख–26/08/2020 से 19/09/2020 तक

जिला–..........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–...........17..........सन्–......2020–21..।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–अनिता कुमारी बनाम प्रतिपक्षी–झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

19.09.2020

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–अनिता कुमारी, पिता–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, सा०–बुरूडीह, पो०–आमलेशा, थाना–तमाड़, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–123 R 27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–15/12/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
गोसाईंडीह	बुण्डू	0013	97	224	73 डिसमील
				मध्ये	16.03 डिसमील

चौहदीः–उ०–भोला पातर, द०–विक्रेता नीज, पू०–अर्जुन पातर, प०–रीतेश अधिकारी,

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि निबंधित विक्रय–पत्र के माध्यम से शरद अधिकारी पिता–स्व० राममोहन अधिकारी, ग्राम–गोसाईडीह थाना–बुण्डू, जिला–राँची से खरीदी है, जिसका दस्तावेज नं० बुक नं०–01, भोलुम नं०–5, पेज नं०–205 से 222 डीड नं०–133/123 वर्ष 2013 दिनांक–18.04. 2013 है, जो रजिस्ट्री कार्यालय, बुण्डू से पंजीकृत है। अपीलार्थी उक्त खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा मूल कागजात के साथ उपस्थित नहीं होने के कारण उपरोक्त भूमि का नामांतरण अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अभिलेखबद्ध आवेदन के साथ संलग्न निम्न न्यायालय के नामांरण मुकदमा सं०–123 R 27/2017-2018/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।	
	अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	8/9/07 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। 8/9/07 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	